

:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

सत्र प्रकरण क्रमांक 53/2016

संस्थापन दिनांक 01.02.2016

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....**अभियोगी**

॥ वि रू द्ध ॥

1. मुनेश सिंह तोमर पुत्र इन्दलसिंह तोमर, उम्र 23
वर्ष।

2. शम्भू सिंह तोमर पुत्र स्व. भवंर सिंह तोमर, उम्र 29
वर्ष। निवासीगण ग्राम छीमका, थाना गोहद चौराहा,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....**आरोपीगण**

अभियोगी द्वारा – श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा– श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0 1396/2015
इ0फौ0 से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 53/2016

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 01-08-2017 को घोषित किया गया)

01. प्रकरण में आरोपीगण पर दिनांक 15.07.2014 के 12:15 बजे कीरतपुरा मोड के पास नर्सरी के सामने गोहद रोड थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में वकीलसिंह की साशय या जानबूझकर मृत्यु

कारित कर हत्या करने जो कि सहअभियुक्त शम्भूसिंह के साथ सामान्य निर्मित कर उसके अग्रसरण में कारित करने एवं फरियादी धर्मेन्द्र सिंह को अग्नेयशस्त्र रायफल व माउजर बंदूक से फायर इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते। इस संबंध में आरोपीगण पर भा.द.वि की धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि दिनांक 15.07.2014 को फरियादी धर्मेन्द्रसिंह अपने मामा के लडके वकीलसिंह तोमर के साथ अपने गांव छीमका से गोहद कचहरी वकीलसिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रहे थे, वकीलसिंह मोटरसाइकिल चला रहा था और वह पीछे बैठा हुआ था। उनके पीछे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल पर महावीरसिंह व उसकी माँ गुड्डी देवी कल्लू की जमानत करवाने आ रहे थे। जैसे ही वह लोग गोहद रोड कीरतपुरा मोड के पास आए पीछे से उनकी मोटरसाइकिल की बराबर में आकर भवंरसिंह के लडके शम्भूसिंह तोमर ने माउजर बंदूक से वकीलसिंह को गोली मारी जो उसके दाहिने कंधे में लगी, तथा उसके बाद उक्त लोगों ने मोटरसाइकिल खड़ी कर मुनेश सिंह तोमर ने वकीलसिंह की छाती में गोली मारी जिससे घाव होकर खून निकलने लगा। इतने में फरियादी वहाँ से खेत की तरफ भागा तो मुनेश व शम्भू ने उसे जान से मारने की नियत से उसके उपर फायर किया। इसके बाद वकीलसिंह को उक्त लोगों ने और भी गोली मारी और अपनी मोटरसाइकिल से गोहद की तरफ भाग गए। घटना के समय महावीर व उसकी माँ आ गई थी जिन्होंने घटना देखी थी। वकील सिंह की गोलियाँ लगने से मृत्यु हो गई थी।

03. घटना के पश्चात् फरियादी धर्मेन्द्र सिंह के सी0एच0सी0 गोहद में प्राथमिकी दर्ज कराई जो कि देहातीनालसी क्रमांक 0/2014 अंतर्गत धारा 302, 307, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया जो कि असल कामयी पुलिस थाना गोहद चौराहा पर अप0क्र0 186/14 अंतर्गत धारा 302, 307, 34 भा.द.वि का दर्ज किया गया तथा मर्ग क्रमांक 26/14 अंतर्गत धारा 174 सी.आर.पी.सी का दर्ज किया गया। दौराने विवेचना शव पंचनामा तैयार कर सफीनाफार्म जारी किया गया एवं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया एवं घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी

मिट्टी एवं 315 बोर के चार चले हुए खाली खोका एवं 315 बोर का एक जिंदा राउण्ड जप्त किया गया। अस्पताल गोहद से प्राप्त मृतक वकीलसिंह के कपड़ों की पोटली एवं उसके शरीर से निकली हुई गोली का टुकड़ा जप्त किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी मुनेश को गिरफ्तार किया गया तथा उससे पूछताछ की गई। जप्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। तत्पश्चात् आरोपी शंभू सिंह तोमर को फरार घोषित कर उपस्थित आरोपी मुनेश के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 302, 307, 34 भा.द.वि के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पित किया गया, जो कि माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय में भेजा गया। तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2016 को आरोपी शंभूसिंह तोमर के गिरफ्तार होने से उसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर पूरक अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 302, 307, 34 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन साक्षी डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 1, धर्मेन्द्र अ०सा० 2, महावीर अ०सा० 3, गुड्डीबाई अ०सा० 4, गोपसिंह अ०सा० 5, राघवेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 6 एवं जे०पी०भट्ट अ०सा० 7 के कथन कराए गए।

05. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना अभिकथित किया है।

06. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1.	क्या मृतक वकीलसिंह की मृत्यु का स्वरूप हत्यात्मक था?
2.	क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.07.2014 को 12:15 बजे कीरतपुरा मोड़ के पास नर्सरी के सामने गोहद रोड थाना गोहद चौराहा में सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक वकीलसिंह की हत्या कारित की?

3.	क्या उक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपीगण ने धर्मेन्द्र पर इस आशय से अग्नायुध से फायर किया कि यदि आरोपीगण के कृत्य से धर्मेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते?
4.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07. आरोपीगण पर अभियोजन कथानक अनुसार वकीलसिंह को अग्नायुध का प्रयोग कर गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि वकीलसिंह की मृत्यु का स्वरूप क्या था?

08. प्रकरण की देहातीनालसी धर्मेन्द्र अ0सा0 1 के द्वारा लेख कराई गई है। देहातीनालसी साक्षी राघवेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 6 के द्वारा लेख की गई है और इसी साक्षी के द्वारा मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया है। साक्षी गोपसिंह यादव अ0सा0 5 के द्वारा देहातीनालसी के आधार पर थाना गोहद चौराहा पर अप0क्र0 186/2014 भा.द.वि की धारा 302, 307, 34 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। साक्षी राघवेन्द्रसिंह तोमर अ0सा0 6 के द्वारा मौके पर लाश का पंचायतनामा तैयार किया गया एवं आवश्यक वस्तुओं व चार चले हुए 315 बोर के खाली खोका जप्त किए गए हैं तथा एक 315 बोर का जिंदा राउण्ड मौके से जप्त किया है तथा मृतक का शव परीक्षण कराया गया है।

09. मृतक का शव परीक्षण डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 1 के द्वारा किया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 15.07.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को मृतक वकीलसिंह उर्फ मनमोहनसिंह पुत्र पप्पू तोमर के शव का परीक्षण किया था और परीक्षण में शरीर के बाह्य भाग पर निम्न चोटें पाई थी:-

1. सीन में दाईं तरफ 1.2 X 1 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे।
 2. सीने में बाईं तरफ चोट क्रमांक 1 के लेबल पर 1.8 X 1.5 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे।
 3. बाईं अग्र भुजा में आगे की तरफ 1.8 X 0.8 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे।
 4. चोट क्रमांक 1 के बाहरी भाग की तरफ 1 X 0.8 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे।
 5. पीठ के दाएं बखा पर 2.5 X 1.8 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे।
 6. पीठ में दाएं तरफ चोट क्रमांक 5 के नीचे 2.5 X 1.8 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े हुए थे।
 7. दाईं तरफ कांख में 1.2 X 1 से.मी. का फटा हुआ घाँव जिसके किनारे अंदर की तरफ मुड़े हुए थे।
10. साक्षी आलोक शर्मा अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने मृतक वकील उर्फ मनमोहनसिंह के आंतरिक परीक्षण में पाया था कि मृतक के दाएं एवं बाएं फेंफड़े फटे हुए थे, हृदय के दोनों भाग खाली थी, मृतक के दाईं तरफ की तीसरी, चौथी पसली तथा क्लेरीकल हड्डी टूटी हुई थी। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने परीक्षण के पश्चात् मृतक के शरीर पर मौजूद पेंट शर्ट शीलबंद का आरक्षक को सौंपे थे। मृतक की मृत्यु के संबंध में इस साक्षी का अभिमत रहा है कि मृतक की मृत्यु अग्नेयअस्त्र से फेंफड़ों में आई चोट से अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण शॉक में जाने से हुई थी तथा मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की थी। इस साक्षी का अपने कथनों में

यह भी कहना रहा है कि मृतक को अग्नेय अस्त्र के चार प्रवेश घाँव थे, जबकि तीन चोट के निकासी घाँव थे। अतः इस साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि मृतक को केवल चार गोली मारी गई थी, जिसमें से तीन शरीर के बाहर निकल गई थी, जबकि एक शरीर के अंदर रही थी। अतः साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि मृतक वकीलसिंह उर्फ मनमोहनसिंह की मृत्यु शरीर पर कारित अग्नेय अस्त्र से किए गए फायर के परिणामस्वरूप कारित चोटों से हुई थी। प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या उक्त चोटें आरोपीगण द्वारा पहुँचाई गई?

11. अभियोजन कथानक अनुसार घटना के समय मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 बैठा था। घटना के संबंध में यदि साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय लगभग 12 से 01 बजे के बीच वह और वकील दोनों मोटरसाइकिल से गोहद कचहरी आ रहे थे, उस समय वकीलसिंह मोटरसाइकिल चला रहा था और वह पीछे बैठा था। जैसे ही वह कीरतपुरा कॉलेज के पास आए पीछे से दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर आए वह व्यक्ति मुँह बांधे हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति ने जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा ने गोली चलाई जो वकील के कंधे में लगी, गोली लगने से वकील की मोटरसाइकिल गिर पड़ी थी। फिर वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को पीछे घुमाकर लाए और फिर से पीछे बैठे व्यक्ति ने वकील को गोली मार दी। साक्षी का यह भी कहना रहा है कि वह डर के मारे घटना देखकर कॉलेज की ओर भाग गया था और उन व्यक्तियों ने तीन फायर उस पर भी किए थे, किन्तु उसे लग नहीं पाये थे। गोली लगने से वकील की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। फिर वकीलसिंह को लेकर अस्पताल गया था। तत्पश्चात् उसने देहातीनालसी की रिपोर्ट लिखाई थी। इस साक्षी ने पुलिस द्वारा मौके पर की गई जप्ती की कार्यवाही का भी समर्थन किया है।

12. अभियोजन की ओर से साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 पूर्णतः अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और सूचकप्रश्नों के माध्यम से आरोपीगण द्वारा ही मृतक को गोली मारने संबंधी सुझाव दिए हैं जिससे इस साक्षी ने इन्कार किया है।

13. यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अभियोजन कथानक अनुसार मृतक की मोटरसाइकिल के पीछे मृतक का भाई महावीर सिंह अ0सा0 3 एवं मृतक की माँ गुड्डीबाई अ0सा0 4 भी आ रहे थे और अभियोजन कथानक अनुसार उन दोनों के द्वारा भी घटना देखी गई है। यदि घटना के संबंध में साक्षी महावीरसिंह अ0सा0 3, गुड्डीबाई अ0सा0 4 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों ने अपने कथनों में मृतक के गोहद न्यायालय जाने के तथ्य का समर्थन किया है, किन्तु दोनों ही साक्षियों का यह कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय वह घर पर थे और उन्हें फोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी ने वकीलसिंह को गोली मार दी है और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। तब वह गोहद अस्पताल गए थे जहाँ वकीलसिंह की लाश देखी थी। उन्होंने घटना नहीं देखी है।

14. अभियोजन की ओर से साक्षी महावीर सिंह अ0सा0 3, गुड्डीबाई अ0सा0 4 को अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से समस्त घटनाक्रम इन साक्षियों के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके पश्चात् भी उक्त साक्षियों ने घटना का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है।

15. साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2, महावीर अ0सा0 3 एवं गुड्डीबाई अ0सा0 4 ने अपने कथनों में इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण को जानते हैं। गुड्डीबाई ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से पूर्व से रंजिश चल रही है और उसके पति की हत्या में आरोपी शंभू और मुनेश फरार चल रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों से जो कि अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शाए गए हैं यह स्पष्ट होता है कि सभी चक्षुदर्शी साक्षी आरोपीगण को पूर्व से जानते थे। हालांकि साक्षी महावीर अ0सा0 3, गुड्डीबाई अ0सा0 4 ने घटना के समय मौके पर अपने आपको उपस्थित होन स्वीकार नहीं किया है, किन्तु साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा घटना कारित करने वालों के रूप में आरोपीगण की पहचान नहीं की है। इस संबंध में यदि साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि जब वह जा रहे थे तो पीछे से दो लोग आए जिनके मुँह बंधे हुए थे, इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान पाया था। रिपोर्ट के संबंध में साक्षी का यह कहना रहा है कि जब अस्पताल में वकील को लेकर आए तो उस समय वह

बहुत घबड़ाया हुआ था और उसके गांव के सूबेदारसिंह ने रिपोर्ट लिखा दी थी, जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था और रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी धर्मेन्द्र अ0सा0 2, महावीर अ0सा0 3 एवं गुड्डी बाई अ0सा0 4 के मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण दो बार हुआ था, क्योंकि प्रथम बार जब साक्षियों के कथन हुए उस समय आरोपी शंभू अनुपस्थित था और उसके प्रकरण में उपस्थित होने पर पुनः साक्षियों का परीक्षण किया गया है, किन्तु दोनों ही अवसरों पर साक्षियों ने घटना घटित करने वालों के रूप में आरोपीगण की पहचान नहीं की है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि साक्षीगण आरोपीगण से परिचित नहीं हो।

16. प्रकरण में आरोपीगण पर अग्नेय आयुध से मृतक वकीलसिंह की हत्या करने का आरोप है। प्रकरण के विवेचनाधिकारी साक्षी गोपसिंह यादव अ0सा0 5 के द्वारा पूछताछ की गई है और इस साक्षी का कहना रहा है कि आरोपीगण ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल अन्य अपराध में जप्त करा देने संबंधी जानकारी दी थी और इस संबंध में प्र.पी. 10 का मेमोरेण्डम तैयार किया गया था, किन्तु यदि प्र.पी. 10 के मेमोरेण्डम का अवलोकन किया जाए तो प्र.पी. 10 के मेमोरेण्डम में किस प्रकरण में पिस्टल जप्त कराई गई इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही अपराध क्रमांक का उल्लेख है, न ही किस थाने से संबंधित है इसका उल्लेख है और न ही विवेचनाधिकारी ने इस आशय का कहीं कोई अनुसंधान किया है कि आरोपी द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर अन्य प्रकरण में अग्नेय आयुध जप्त कराया जा चुका है और न ही इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है कि जिस अग्नेय आयुध का प्रयोग किया गया वह लाइसेंसी था अथवा बगैर लाइसेंसी। ऐसी स्थिति में ऐसा दर्शित होता है कि विवेचना अधिकारी ने इतने गंभीर मामले में जिसमें कि अग्नेय आयुध से हत्या का अपराध किए जाने संबंधी आधार लिए गए थे उस संबंध में उचित व आवश्यक विवेचना नहीं की है।

17. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को मृतक वकील सिंह की मृत्यु अग्नेय आयुध के प्रयोग से कारित चोटों के परिणामस्वरूप हुई, किन्तु प्रकरण में इस आशय की साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि घटना दिनांक को घटना आरोपीगण के द्वारा कारित की गई और न ही इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध है कि आरोपीगण द्वारा धर्मेन्द्र

पर अग्नेय आयुध से फायर किया गया।

18. अतः अभियोजन प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण पर आरोपित अपराध प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है।

19. परिणामतः आरोपीगण को आरोपित अपराध धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपीगण जमानत पर हैं, उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

21. आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र प्रकरण के साथ तैयार कर संलग्न किया जावे।

22. प्रकरण में जप्तशुदा 315 बोर का जिंदा राउण्ड अपील अवधि बाद राजसाद किया जाए एवं शेष जप्तशुदा वस्तुएँ मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)